उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग-1
1005 संख्या-/2025/3486/41-2-2025-सीएन-1993865
लखनऊ दिनांक 62 दिसम्बर 2025
संख्या-929/2025/3201/41-1-2025-001-सी0एन0-1993865, दिनांक 30.11.2025 का
शुद्धि पत्र

निदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-4281/7-1-1/जि०यो०/फिरोजाबाद/सैफपुर/2025-26/2025, दिनांक 03.12.2025 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के प्राचीत देव स्थान सैफपुर के सौन्दर्गीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-929/2025/3201/41-1-2025-001-सी0एन0-1993865, दिनांक 30.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक 10 पर उप निदेशक पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा के स्थान पर त्रुटिवश क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा अंकित हो गया है।

2- अतः शासनादेश संख्या-929/2025/3201/41-1-2025-001 सी०एन०-1993865, दिनांक 30.11.2025 में पृष्ठांकन के क्रमांक-10 पर क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी, आगरा के स्थान पर उप निदेशक पर्यटन/आहरण वितरण, अधिकारी आगरा अंकित किया जाता है।

3- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 30.11.2025[1] संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं 1-पकर कार्यवाही हेतु प्रेषितः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हवादारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबादत
4.मुख्य कोषाधिकारी आगर
5.प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6.वित्त-नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7.निर्देशक उत्तर प्रदेश नीवन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) । 7
8. संयुक्त निदेशक, पर्यटन, जिला योजना मुख्यालय, लखनऊ।
9.उप निदेशक पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in